महत्वपूर्ण

संख्या– 744 /86–2018–8(सामान्य)/2018

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

विषयः–उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अन्तर्गत उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या–608/86–2018–8(सामान्य)/2018, दिनाक 19.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आगामी मानसून अवधि में उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु उ0प्र0 उपखनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अन्तर्गत उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का निर्देश निर्गत किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में प्रत्येक पक्ष में भण्डारण हेतु निर्गत अनुज्ञप्तियों का विवरण प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्वीकृत अनुज्ञप्तियों का विवरण प्रतीक्षित है।

2. अतः उक्त की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में उपखनिजों के भण्डारण हेतु निर्गत अनुज्ञप्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को नियमित रूप से शासन तथा निदेशालय को क्रमशः ई0मेलgeologyandminingsection@gmail.com तथा dgmupexp@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण है, अतः इस ओर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /86–2018–तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि मामले की प्रगति की अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर संकलित सूचना नियमित रूप से प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

(8)

शासनादेश संख्या- 744/86-2018-8(सामान्य)/2018

दिनांक 06 अप्रैल, 2018 का संलग्न प्रपत्र

माह-

क्र0 स0	जनपद	पूर्व में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तियों की संख्या				माह में अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		माह में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तियों की संख्या				माह तक स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तियों की संख्या				निस्तारण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	
		गौरम	भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में)	बालू	भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में)	गौरम	बालू	गौरम	भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में)	बालू	भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में)	गौरम	भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में)	बालू	भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में)	गौरम	बालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(6)

संख्या– 727 /86 2018–12(आ0पी0)/2018

प्रेषक,

हृदय नारायण सिंह यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
हमीरपुर।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग   लखनऊ दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषय– उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2002 में भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो जाने व आवश्यक विधिक प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण भण्डारित उपखनिजों के निस्तारण हेतु शासन का मार्गदर्शन उपलब्ध कराये ऐसे भण्डारण को निस्तारित किये जाने हेतु जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या–1434/खनिज–एम0एम0सी0–तीन/ निविदा (2017–18), दिनांक 31.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भण्डारण अनुज्ञप्ति लाइसेन्स के नवीनीकरण नहीं होने की दशा में भण्डारण क्षेत्र में उपलब्ध अवशेष उपखनिज की मात्रा यदि 10,000घन मी0 अथवा इससे अधिक हो तो ई–टेण्डर के माध्यम से निस्तारित कराके प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा करायें. यदि अवशेष उपखनिज 10,000घन मी0 से कम है तो टेण्डर करके उपखनिज निस्तारित किया जाय एवं प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

ह0

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।